



2026:AHC:44056-DB

एएफआर

निर्णय सुरक्षित 05.02.2026

निर्णय सुनाया गया 26.02.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या 2926 वर्ष 1985

रामचंद्र एवं अन्य

..अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता :एबीएल गौर, राज कुमार वैश्य

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता :अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 48

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-I

(माननीय न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह द्वारा सुनाया गया)

1. यह आपराधिक अपील विद्वान सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 489/1984 अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता, थाना बहेड़ी, जिला बरेली, में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.10.1985 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा विद्वान न्यायाधीश ने दोनों अपीलकर्ताओं—राम चंद्र और बाबू राम को दामोदर की हत्या करने के लिए धारा 302 भा.दं.सं. या वैकल्पिक रूप से धारा 302/34 भा.दं.सं. के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित और दोषसिद्ध किया था।

2. दोनों अपीलकर्ताओं को मृतक चंद्र पाल की हत्या करने के लिए भी धारा 302 भा.दं.सं. या वैकल्पिक रूप से धारा 302/34 भा.दं.सं. के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित और दोषसिद्ध किया गया था।

3. हालांकि, दोनों सजाओं को साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मामले के तथ्य

4. वर्तमान आपराधिक अपील के मुख्य आधारभूत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रथम सूचनाकर्ता माया देवी, पत्नी दामोदर गडेरिया द्वारा थाना बहेड़ी, जिला बरेली में एक मौखिक सूचना दी गई थी कि वह ग्राम राजपुरा, थाना बहेड़ी की निवासी है। उसके ससुर तीन भाई थे, जिनके नाम मुन्ना लाल, धनी राम और चुन्नी लाल हैं। मुन्ना लाल के तीन बेटे थे—राम चंद्र, बाबू राम और ओम प्रकाश। चुन्नी लाल का एक बेटा बेचे लाल था। उसके ससुर की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद, वे एक अन्य महिला को ले आए थे, जिससे दो बेटे पैदा हुए—यानी उसका पति दामोदर और देवर चंद्रपाल। उसके चचिया ससुर झोड़ी के पास एक बीघा का खेत था, जिसमें इस वर्ष गन्ने की फसल थी, जिसे संयुक्त रूप से जोता और बोया जा रहा था। उस फसल की कटाई राम चंद्र, बाबू राम और ओम प्रकाश द्वारा कर ली गई थी। उसके पति दामोदर और देवर चंद्रपाल द्वारा पूछताछ करने पर, उन्होंने बताया कि झोड़ी ने उक्त खेत का एक इकरारनामा उनके पक्ष में कर दिया है। इसी कारण से उसके पति व देवर का एक पक्ष और राम चंद्र, बाबू राम व ओम प्रकाश का दूसरे पक्ष के बीच कुछ कहासुनी हुई थी। नौ बीघे के एक अन्य खेत में, जिसे राम चंद्र और उसके सगे भाई जोत और बो रहे थे, उसमें उसके तीनों ससुरों के सभी बेटे हिस्सेदार हैं। कुछ दिन पहले जब उसके पति और देवर ने संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा, तो राम चंद्र ने मना कर दिया।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आगे विवरण है कि आज रात 09:00 बजे, खेत के बंटवारे के लिए एक पंचायत बुलाई गई थी जिसमें गांव के कई लोगों ने भाग लिया था। पंचायत में लालटेन और टबरी जल रहे थे। पंचायत में उसके पति दामोदर और देवर चंद्र पाल ने राम चंद्र और बाबू राम से कहा कि उन्होंने झोड़ी की जमीन का एक फर्जी इकरारनामा तैयार करवाया है। इस पर, राम चंद्र और बाबू ने गाली-गलौज शुरू कर दी और उसके पति दामोदर और देवर चंद्र पाल पर चाकू और लाठियों से हमला कर दिया। प्रथम सूचनाकर्ता और उसकी देवरानी श्रीमती राम वती ने शोर मचाया। उसका पति मस्जिद की तरफ भागा, जबकि उसका देवर अपने घर की तरफ भागा। राम चंद्र और बाबू राम ने चंद्र पाल का पीछा किया और चाकू व लाठियों से उस पर बुरी

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



तरह हमला किया और भाग गए। जब घायल चंद्र पाल को थाने ले जाया जा रहा था, तब उसने दम तोड़ दिया। मस्जिद के पास उसका पति भी मृत पाया गया। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि उसके पति दामोदर (इसके बाद 'मृतक-दामोदर' के रूप में संदर्भित) और देवर चंद्र पाल (इसके बाद 'मृतक चंद्र पाल' के रूप में संदर्भित) की राम चंद्र और बाबू राम द्वारा चाकू और लाठियों से हमला कर हत्या की गई है। इस घटना को रोशन गडेरिया, खेम करन गडेरिया, जमील और खेम करन गंगवार तथा गांव के कई अन्य व्यक्तियों ने लालटेन, टबरी और टॉर्च की रोशनी में देखा था।

6. प्रथम सूचनाकर्ता श्रीमती माया देवी द्वारा दी गई उपरोक्त मौखिक सूचना के आधार पर, हेड मुहरीर राम प्रकाश गंगवार द्वारा मामला दर्ज किया गया (प्रदर्श क-2), जिस पर प्रथम सूचनाकर्ता ने अपने अंगूठे का निशान लगाया था।

7. मामला दर्ज होने के बाद, कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई और मामले की विवेचना पीडब्लू-3 उप-निरीक्षक लक्ष्मी नारायण द्वारा शुरू किया गया। दिनांक 03.07.1985 को प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के संबंध में औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, उन्होंने हेड मुहरीर राम प्रकाश का बयान दर्ज किया। उन्होंने केस डायरी में संबंधित कागजात की प्रतिलिपि बनाई और कांस्टेबल पूरन सिंह, राम पाल और शकील अहमद के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में, दामोदर और चंद्र पाल के शव मिले। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना-स्थल का नक्शा तैयार किया, जो प्रदर्श क-5 है। पंचों (पंच साक्षियों) की नियुक्ति के बाद, उन्होंने मृतकों के शवों का पंचनामा करवाया, जो प्रदर्श क-6 और प्रदर्श क-7 है। पंचनामा कराने के बाद, उन्होंने प्रथम सूचनाकर्ता श्रीमती माया देवी और गवाह खेम करन के बयान दर्ज किए। पीडब्लू-3 ने उस स्थान से खून से सनी मिट्टी और सादी मिट्टी एकत्र की जहाँ मृतक-दामोदर का शव पड़ा था, जिसे प्रदर्श क-8 के रूप में चिह्नित किया गया। उन्होंने उस स्थान से भी खून से सनी मिट्टी और सादी मिट्टी एकत्र की जहाँ मृतक-चंद्र पाल पड़ा था, जो प्रदर्श क-9 है। उन्होंने केस डायरी में गवाहों राम वती, माला, जमील और अजय के बयान भी दर्ज किए। आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के बाद, उन्होंने शव परीक्षण कराने के लिए दोनों शवों को कांस्टेबल पूरन सिंह और कांस्टेबल राम पाल को सौंप दिया। पीडब्लू-3, एसआई लक्ष्मी नारायण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ने 04.07.1984 को अपीलकर्ताओं के घर पर दबिश दी। हालांकि, अपराध से संबंधित कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ। उन्होंने सूचनाकर्ता, गवाह जमील और प्रधान खेम करन की टॉर्चों का भी निरीक्षण किया, जो चालू हालत में पाई गईं और उन्हें सुपुर्दगी (प्रदर्श क-3, क-11 और क-1) में दे दिया गया। उन्हें पता चला कि 07.07.1985 को आरोपियों ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है।

8. क्षेत्राधिकारी के दिनांक 19.07.1984 के आदेश के अनुपालन में, मामले की विवेचना एसआई मान सिंह को स्थानांतरित कर दिया गया। दिनांक 19.07.1984 को, पीडब्लू-3, एसआई लक्ष्मी नारायण, एसआई मान सिंह के साथ घटनास्थल पर गए और लालटेन व डिब्बी को अपने कब्जे में ले लिया, जो चालू हालत में पाए गए थे और उनके फर्द तैयार किए गए। दिनांक 04.08.1984 को एसआई मान सिंह ने जेल में आरोपी-अपीलकर्ताओं के बयान दर्ज किए और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, एसआई मान सिंह ने आरोपी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसे प्रदर्श क-13 के रूप में चिह्नित किया गया है।

9. चूंकि यह मामला अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले को सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया, जहाँ मामला सत्र परीक्षण संख्या 489/1984 के रूप में दर्ज किया गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश, बरेली ने आदेश दिनांक 21.05.1985 के माध्यम से आरोपी-अपीलकर्ताओं के विरुद्ध धारा 302 भा.दं.सं. के तहत आरोप तय किए, जिन्हें आरोपियों को हिंदी में पढ़कर सुनाया और समझाया गया।

10. अपीलकर्ताओं के दोष को पूरी तरह साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल चार गवाहों का परीक्षण किया है, जिनमें से पीडब्लू-1, खेम करन लाल और पीडब्लू-2, माया देवी चश्मदीद गवाह हैं, जबकि पीडब्लू-3, लक्ष्मी नारायण प्रथम विवेचना अधिकारी हैं, जिन्होंने लगभग पूरा अन्वेषण किया, और पीडब्लू-4, डॉ. एम.सी. शर्मा हैं, जिन्होंने मृतकों के शरीरों का शव परीक्षण किया था।

11. पीडब्लू-1, खेम करन लाल, पुत्र सेवा राम ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया कि वह ग्राम नारायण नगला का ग्राम प्रधान है। यह हत्या ग्राम राजपुरा में हुई थी। वह जाति से

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गंगवार है। वह आरोपी-अपीलकर्ताओं के साथ-साथ मृतक दामोदर और चंद्र पाल को भी जानता है। घटना के समय अपीलकर्ता और मृतक अलग-अलग रह रहे थे। अपीलकर्ताओं और मृतकों की 'करात' (साझा हिस्सेदारी) की भूमि संयुक्त थी, जिसे अलग-अलग जोता और बोया जा रहा था। जोधी, जो आरोपी-अपीलकर्ताओं और मृतकों के चाचा थे, उनकी दो बीघा भूमि पर भी आरोपियों और मृतकों द्वारा खेती की जा रही थी। जोधी की उक्त भूमि पर खड़ी फसल की कटाई आरोपी राम चंद्र द्वारा कर ली गई थी, जिस पर मृतक दामोदर ने आपत्ति जताई थी। उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त, 09-10 बीघे का एक और खेत था, जिसकी कटाई राम चंद्र द्वारा की जा रही थी और वह मृतकों को कटाई नहीं करने देता था। मृतक चंद्र पाल और दामोदर ने छद्मी लाल से चार बीघा जमीन खरीदी थी। उक्त भूमि में आरोपी-अपीलकर्ता नाली बनाना चाहता था, जिसके कारण हत्या की घटना से एक दिन पहले आरोपियों और मृतकों के बीच झगड़ा हुआ था। उन्होंने आगे बयान दिया कि रात 09:00 बजे राम औतार के चौपाल पर एक पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें इस गवाह के साथ रोशन लाल, जमील अहमद, खेम करन और 24-25 अन्य लोग शामिल हुए थे। आरोपी-अपीलकर्ताओं ने भी पंचायत में भाग लिया था। पंचायत के स्थान पर लालटेन जल रही थी। मोमसेन (देवता का स्थान) के चबूतरे पर डिब्बी भी जल रही थी। उपरोक्त लालटेन और डिब्बी के अलावा, इस गवाह के साथ जमील अहमद और एक माला देवी के पास टॉर्च भी थी। पीडब्लू-1 ने आगे बयान दिया कि जैसे ही पंचायत शुरू हुई, मृतक-दामोदर ने आरोपी राम चंद्र से कहा कि उसने गलत तरीके से इकरारनामा करवाया है। यह सुनकर आरोपी राम चंद्र ने उसे थप्पड़ मार दिया और उसके बाद राम चंद्र और बाबू ने मृतक दामोदर और चंद्र पाल पर लाठियों से हमला करना शुरू कर दिया। जैसे ही आरोपी-अपीलकर्ताओं ने हमला शुरू किया, भगदड़ मच गई। दोनों आरोपी-अपीलकर्ताओं ने मृतक दामोदर और चंद्र पाल पर चाकू से वार किया। घायल होने के बाद मृतक-दामोदर मस्जिद की तरफ भागा। चंद्र पाल, दामोदर का बचाव कर रहा था, दोनों आरोपियों ने उस पर भी चाकू से हमला किया। घायल होने के बाद चंद्र पाल अपने घर की तरफ भागा जहाँ आरोपी-अपीलकर्ताओं द्वारा उस पर चाकू से हमला किया गया। इस घटना को इस गवाह ने लालटेन, डिब्बिया और टॉर्चों की रोशनी में देखा था। जब वह (गवाह) वहाँ पहुँचा, तो चंद्र पाल जीवित था, जिसने अपनी भाभी (प्रथम सूचनाकर्ता) से उसे बहेड़ी ले जाने के लिए कहा। जैसे ही वह मस्जिद के पास पहुँचा, उसे

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मृतक-दामोदर का शव मिला। दामोदर के शव को देखने के बाद चंद्र पाल ने भी अंतिम सांस ली।

12. पीडब्लू-2 माया देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया कि मृतक दामोदर उनके पति थे और मृतक चंद्र पाल उनके देवर थे, जिनकी हत्या आरोपी राम चंद्र और बाबू ने की थी। वहां दो बीघा गन्ने के खेत को लेकर विवाद था। वह खेत शुरू में जोधी का था। उक्त खेत पर खड़ी फसल को आरोपी राम चंद्र ने काट लिया था, जिसे मृतक दामोदर द्वारा जोता और बोया गया था। इस ज़मीन/खेत के अलावा, लगभग 09-10 बीघा का एक और खेत था, जिस पर आरोपी राम चंद्र, बाबू और बेचे लाल खेती कर रहे थे और वे मृतक को खेती नहीं करने देते थे, जबकि उस ज़मीन पर सभी का बराबर हिस्सा था। इस गवाह ने आगे बयान दिया कि मृतक दामोदर और राम चंद्र ने चार बीघा ज़मीन खरीदी थी, जिस ज़मीन पर आरोपी-अपीलकर्ता नाली बनाना चाहता था। इस बात को लेकर हत्या की घटना से एक दिन पहले आरोपी-अपीलकर्ताओं और मृतक के बीच झगड़ा हुआ था। पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए, घटना की तारीख को रात 09:00 बजे राम अवतार के चौपाल पर एक पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में जमील, विशन लाल, खेम करन और अन्य लोग शामिल हुए थे। पंचायत के स्थान पर एक लालटेन और एक डिबिया जल रही थी। वह अपनी देवरानी श्रीमती राम वती और ननद माला के साथ पंचायत के स्थान पर मौजूद थीं। पंचायत में दोनों अपीलकर्ता और दोनों मृतक भी उपस्थित थे। उनके पास एक टॉर्च थी। जमील और चेयरमैन के पास भी टॉर्च थी। पीडब्लू-2 श्रीमती माया देवी ने आगे बयान दिया कि मृतक दामोदर ने आरोपी राम चंद्र से कहा कि उसने गलत समझौता किया है। यह सुनकर आरोपी राम चंद्र ने उसे थप्पड़ मार दिया और उसके बाद राम चंद्र और बाबू ने मृतक दामोदर और चंद्र पाल पर लाठियों से हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों आरोपी-अपीलकर्ताओं ने मृतक दामोदर और चंद्र पाल पर चाकू से हमला किया। घायल होने के बाद मृतक दामोदर मस्जिद की तरफ भागा। मृतक चंद्र पाल उत्तर दिशा में घर की तरफ भागा, जहां आरोपी-अपीलकर्ताओं ने उस पर चाकू से हमला किया। यह गवाह भी घर पर गई और देखा कि चंद्र पाल जीवित था। जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था और जैसे ही वह मस्जिद के पास पहुंची, तो उसने अपने पति को मृत पाया। बहेड़ी ले जाते समय रास्ते में घायल चंद्र पाल ने भी दम तोड़ दिया

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



13. अभियोजन साक्षी-4, डॉ. एम.सी. शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया कि 03.07.1984 को वह जिला अस्पताल, बरेली में वरिष्ठ सर्जन के पद पर तैनात थे। उस तारीख को दोपहर लगभग 04:30 बजे, उन्होंने मृतक-दामोदर के शव का पोस्टमार्टम किया और उनके शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व की चोटें पाईं:

1. चाकू का घाव 2 सेमी x 1 सेमी x छाती की गुहा तक गहरा, जो छाती के पीछे दाहिनी ओर, स्कैपुला (कंधे की हड्डी) के निचले हिस्से से 9 सेमी नीचे था।

2. चाकू का घाव 2 सेमी x 1 सेमी x छाती की गुहा तक गहरा, जो छाती के पीछे मध्य रेखा से ½ सेमी की दूरी पर, गर्दन की जड़ से 27 सेमी नीचे था।

3. चाकू का घाव 2 सेमी x 1 सेमी x छाती की गुहा तक गहरा, जो छाती के पीछे मध्य रेखा से ½ सेमी बगल में, गर्दन की जड़ से 25 सेमी नीचे था।

14. आंतरिक परीक्षण करने पर, फुफ्फुसावरण के दोनों ओर सुराख, दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से में सुराख और बाएं फेफड़े के निचले हिस्से में सुराख पाया गया। यह भी देखा गया कि आमाशय में अर्ध-पचित भोजन मौजूद था तथा बड़ी और छोटी आंतों में गैसों एवं मल पदार्थ मौजूद थे।

15. चिकित्सक के मतानुसार, मृतक की मृत्यु चिकित्सा परीक्षण के समय से लगभग ¾ दिन पूर्व चाकू जैसे किसी धारदार आयुध से कारित मृत्यु-पूर्व की क्षतियों के परिणामस्वरूप जनित आघात एवं अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई होगी। उनका यह भी मत था कि मृत्यु दिनांक 02.07.1984 को रात्रि लगभग 10:00 बजे हुई होगी, जिसमें दोनों ओर (आगे या पीछे) लगभग 4 से 6 घंटे का अंतर होना संभव है।

16. अभियोजन साक्षी-4, डॉ. एम.सी. शर्मा ने उसी दिन शाम लगभग 05:00 बजे मृतक चंद्र पाल के शरीर पर पोस्टमार्टम परीक्षण किया और निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व की क्षतियां पाईं:

1.

छिन्न घाव 1 सेमी x 1 सेमी x मांसपेशियों की गहराई तक, दाहिनी कोहनी के ऊपरी पश्च भाग पर।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. छिन्न घाव 5 सेमी x 2 सेमी x मांसपेशियों की गहराई तक, दाहिनी कोहनी के पीछे की ओर।
3. छिन्न घाव 8 सेमी x 2 सेमी x मांसपेशियों की गहराई तक, दाहिनी अग्रबाहु के पीछे, कोहनी के जोड़ से 4 सेमी नीचे।
4. तीन रेखीय छिन्न घाव 5 सेमी x ½ सेमी, 2 सेमी x ¼ सेमी, 1 सेमी x ¼ सेमी, कोहनी के नीचे दाहिनी अग्रबाहु के पीछे की ओर।
5. 8 सेमी x 6 सेमी के एक क्षेत्र में चार छिन्न घाव, जो क्रमशः 2 सेमी x ½ सेमी, 3 सेमी x 1 सेमी, 2-½ सेमी x ½ सेमी, 1 सेमी x ½ सेमी के थे, सभी मांसपेशियों की गहराई तक, उदर के दाहिनी ओर पीछे, त्रिक क्षेत्र के आधार से 10 सेमी ऊपर तथा मध्य रेखा से 2 सेमी की दूरी पर।
6. 2 छिन्न घाव 2 सेमी x ½ सेमी, 3 सेमी x 2 सेमी x मांसपेशियों की गहराई तक, बाईं पीठ पर, मध्य रेखा से 3 सेमी की दूरी पर तथा त्रिक क्षेत्र से 8 सेमी ऊपर।
7. छिन्न घाव 8 सेमी x ½ सेमी x मांसपेशियों की गहराई तक, पीठ की मध्य रेखा पर, त्रिक क्षेत्र से 2 सेमी ऊपर।
8. छिन्न घाव 2 सेमी x 1 सेमी x मांसपेशियों की गहराई तक, दाहिने नितंब के पीछे के ऊपरी भाग पर।
9. घर्षित - नीलित घाव 2 सेमी x 2 सेमी, दोनों नितंबों के बीच के मोड़ के ऊपरी हिस्से पर।
10. तीन छिन्न घाव 3 सेमी x 1 सेमी, 1 सेमी x ½ सेमी, 1 सेमी x ½ सेमी, सभी मांसपेशियों की गहराई तक, दाहिनी जांघ के पीछे बीच में।
11. छिन्न घाव 6 सेमी x 2 सेमी x मांसपेशियों की गहराई तक, दाहिने इलियाक फोसा पर।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



12. छिन्न घाव 6 सेमी x 2 सेमी x शरीर की भीतरी गुहा तक गहरा, बाईं कटि पर, जिसके साथ 13 सेमी लंबी पूंछ जैसी लकीर थी (जिसने गुर्दे को काट दिया था)।
13. छिन्न घाव 3 सेमी x 1 सेमी x मांसपेशियों की गहराई तक, बाईं बांह के पीछे, निचले 1/3 भाग पर।
14. छिन्न घाव 2 सेमी x 1 सेमी x मांसपेशियों की गहराई तक, बाईं कोहनी के पीछे।
15. छिन्न घाव 2 सेमी x ½ सेमी, बाईं ओर की कोहनी के पीछे बाहरी तरफ।
16. घर्षित - नीलित घाव 2 सेमी x ½ सेमी, पीठ के बाहरी हिस्से पर।
17. छिन्न घाव 1 सेमी x ½ सेमी x हड्डी की गहराई तक, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली के पीछे दूरस्थ पोर पर।
18. छिन्न घाव ½ सेमी x ½ सेमी x हड्डी की गहराई तक, बाएं हाथ की अनामिका उंगली के पीछे।
19. घर्षण सहित नील 5 सेमी x 4 सेमी, बाएं घुटने के सामने की ओर।
20. नील 7 सेमी x 4 सेमी, दाहिनी जांघ के मध्य में अंदरूनी तरफ।
21. छिन्न घाव 2 सेमी x ½ सेमी x मांसपेशियों की गहराई तक, बाएं पैर के अंदरूनी हिस्से पर।
22. छिन्न घाव ½ सेमी x ½ सेमी x मांसपेशियों की गहराई तक, बाईं टांग के ऊपरी भाग के सामने की ओर।
23. विदीर्ण घाव 3 सेमी x 2 सेमी x मांसपेशियों की गहराई तक, दाहिनी टांग के निचले 1/3 भाग के सामने की ओर।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



17. चिकित्सक के मतानुसार, छिन्न घाव किसी धारदार आयुध जैसे कि चाकू से कारित किए गए हो सकते हैं, जबकि नील आदि किसी कुंद वस्तु जैसे कि लाठी से कारित किए गए हो सकते हैं। चिकित्सक ने आगे यह मत व्यक्त किया कि मृतक चंद्र पाल की मृत्यु, चिकित्सा परीक्षण से लगभग ¾ दिन पूर्व, मृत्यु-पूर्व की क्षतियों के कारण जनित आघात एवं अत्यधिक रक्तस्राव के परिणामस्वरूप हुई होगी।

18. अभियोजन साक्षी-3, उप-निरीक्षक लक्ष्मी नारायण के साक्ष्य पर ऊपर पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

19. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात, अभियुक्त-अपीलार्थियों राम चंद्र और बाबू राम के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध प्रकट होने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और यह कथन किया कि उन्हें प्रधान के कहने पर इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

20. इस मामले में तीन प्रतिरक्षी साक्षियों का भी परीक्षण किया गया है, जिनके नाम हैं— प्र.सा.-1 राम औतार, प्र.सा.-2 रोशन लाल और प्र.सा.-3 खेम करन।

21. प्रतिरक्षी साक्षी-1, राम औतार ने बयान दिया है कि वह अभियुक्त-अपीलार्थियों और दोनों मृतकों को जानता है क्योंकि वे उसके गांव के निवासी हैं। दोनों मृतकों के खेम करन, जो कि चेयरमैन हैं, के साथ अच्छे संबंध थे। उनके बीच एक-दूसरे के यहाँ आना-जाना था। मृतकों की अपीलार्थियों के साथ कोई शत्रुता नहीं थी। उसने आगे बयान दिया कि घटना से एक दिन पूर्व, न तो उसकी चौपाल में अभियुक्त-अपीलार्थियों और मृतकों के बीच कोई पंचायत बुलाई गई थी और न ही कोई झगड़ा हुआ था। घटना की तिथि को, वह पूरे दिन और रात अपने घर में उपस्थित था और जब वह सुबह जागा, तो उसे पता चला कि दामोदर और चंद्र पाल की हत्या कर दी गई है। गांव में उसके नाम और वल्लिदयत का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। उसने आगे बयान दिया कि 16.09.1985 को, जब वह घनश्याम के पुत्र खेम करन और रोशन लाल के साथ न्यायालय जा रहा था, तो उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और 20.09.1985 तक थाने में रखा गया जहाँ खेम करन के इशारे पर उनके साथ मारपीट की जा रही थी।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



22. प्रतिरक्षी साक्षी-2, रोशन लाल पुत्र जोरावर ने बयान दिया है कि वह उप-चेयरमैन है, जबकि खेम करन चेयरमैन है। गांव में उसके नाम और वल्लियत का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। चेयरमैन खेम करन के मृतक के साथ अच्छे संबंध थे। वह नहीं जानता कि राम औतार की चौपाल पर कोई पंचायत बुलाई गई थी या नहीं। मुझे बुलाने कोई नहीं आया था। मृतक दामोदर और चंद्र पाल की हत्या उसके सामने नहीं की गई थी। उसने आगे बयान दिया कि 16.09.1984 को, जब वह अपनी गवाही के लिए जा रहा था, तब थाना बहेड़ी का एक कांस्टेबल उसके पास आया और उसे थाने ले गया। इसके पश्चात, राम औतार और खेम करन भी थाने गए। थाने में उन्हें चार दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया जहाँ उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की जा रही थी।

23. प्रतिरक्षा साक्षी संख्या-3, खेम करन, पुत्र घनश्याम ने बयान दिया कि गाँव में उसके नाम और पिता के नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। वह मृतक और अपीलार्थियों को जानता है। खेम करन अपने गाँव का प्रधान है। मृतक के खेम करन के साथ अच्छे संबंध थे। उसने आगे बयान दिया कि न तो उसके घर पर और न ही राम औतार के घर पर कोई पंचायत बुलाई गई थी। पुलिस ने उसे चार दिनों तक थाने में हिरासत में रखा था।

24. विद्वान सत्र न्यायाधीश, बरेली ने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का आकलन, मूल्यांकन और संवीक्षा करने के पश्चात्, अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया और जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, दंडित किया।

25. उपर्युक्त निर्णय और आदेश से व्यथित तथा असंतुष्ट होकर, अपीलार्थियों ने यह वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुतियां

26. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता, श्री राज कुमार वैश्य ने निम्नलिखित निवेदन प्रस्तुत किया है:

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(क) यह कि घटना-स्थल और घटना के समय वहाँ पर साक्षियों की उपस्थिति अत्यधिक संदेहास्पद है।

(ख) यह कि अपीलार्थी से हमले में प्रयुक्त हथियार बरामद नहीं किया गया है, जो अभियोजन के संपूर्ण कथानक को संदेहास्पद बनाता है।

(ग) यह कि विचारण के दौरान केवल दो साक्षियों, अर्थात् खेम करन लाल और श्रीमती माया देवी का ही परीक्षण किया गया है, जबकि अभियोजन के मामले के अनुसार रोशन गड़ेरिया, खेम करन गड़ेरिया और जमील को घटना का साक्षी होना दर्शाया गया था, किंतु उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(घ) यह कि पी.डब्ल्यू.-2, माया देवी के बयान में अंतर्विरोध मौजूद है।

(ङ) यह कि प्रतिरक्षा साक्षियों के साक्ष्य ने अभियोजन के मामले को पूरी तरह खंडित कर दिया है।

राज्य की ओर से प्रस्तुतियां

27. दूसरी ओर, श्री एस.के. ओझा, विद्वान प्रथम अपर शासकीय अधिवक्ता ने निम्नलिखित निवेदन प्रस्तुत किया है:

(क) यह कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से, घटना-स्थल और घटना के स्थान पर साक्षियों की उपस्थिति पूर्णतः स्थापित होती है।

(ख) यह कि अभियुक्त-अपीलार्थियों से हमले में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी न होना, विवेचनाधिकारी के स्तर पर एक चूक हो सकती है, जिसका लाभ अपीलार्थियों को प्रदान नहीं किया जा सकता।

(ग) यह कि लघु अंतर्विरोधों को अनावश्यक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(घ) यह कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अकाट्य और ठोस साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

28. अपीलीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुना गया एवं मामले के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

29. दो प्रत्यक्षदर्शियों, अर्थात् पी.डब्ल्यू.-1 खेम करन और पी.डब्ल्यू.-2 श्रीमती माया देवी के साक्ष्य के अनुसार, मृतकों पर हमला राम औतार के चौपाल पर शुरू किया गया था, जहाँ से मृतक दामोदर भागने लगा और उसका शव मस्जिद के पास मिला, जो संबंधित चौपाल से लगभग 77 कदम की दूरी पर स्थित है; जबकि मृतक चंद्र पाल अपने 'घेर' की तरफ भागा और उस पर वहाँ भी हमला किया गया। मामले के विवेचक पी.डब्ल्यू.-3 लक्ष्मी नारायण के साक्ष्य के अनुसार, मृतक चंद्र पाल का घेर संबंधित चौपाल से लगभग 25 कदम की दूरी पर स्थित है। मामले के विवेचक पी.डब्ल्यू.-3 लक्ष्मी नारायण ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया कि उन्होंने उस स्थान से रक्त रंजित मिट्टी और सामान्य मिट्टी एकत्र की थी जहाँ मृतक दामोदर का शव पड़ा हुआ था, जिसे प्रदर्श क-8 के रूप में अंकित किया गया और डिब्बों को प्रदर्श 1 और 2 के रूप में चिह्नित किया गया। उन्होंने उस स्थान से भी रक्त रंजित मिट्टी और सामान्य मिट्टी एकत्र की जहाँ मृतक चंद्र पाल पड़ा हुआ था, जिसे प्रदर्श क-9 के रूप में अंकित किया गया और डिब्बों को प्रदर्श 3 और 4 के रूप में चिह्नित किया गया। शव-परीक्षण के समय, चिकित्सा अधिकारी ने मृतक दामोदर के शरीर से खून से सनी बनियान (प्रदर्श 5), खून से सना अंडरवियर (प्रदर्श 6) और खून से सना कुर्ता (प्रदर्श 7) उतारा और उसे विधिवत सीलबंद पैकेट में विवेचक को भेज दिया। इसी प्रकार, मृतक चंद्र पाल के पोस्टमार्टम के समय, चिकित्सा अधिकारी (डॉ. एम.सी. शर्मा, पी.डब्ल्यू.-4) ने मृतक चंद्र पाल के शरीर से खून से सने कुछ कपड़े, यानी शर्ट (प्रदर्श 8), बनियान (प्रदर्श 9) और अंडरवियर (प्रदर्श 10) हटाए और उन्हें विधिवत सीलबंद करवाने के बाद विवेचक को भेज दिया। उपरोक्त सभी वस्तुएं विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गईं। दिनांक 19.02.1982 की सीरमविज्ञानी की रिपोर्ट ने विवेचक द्वारा एकत्र "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



की गई उस रक्त रंजित मिट्टी पर मानव रक्त की उपस्थिति की पुष्टि की, जो प्रदर्श 1 के रूप में उस स्थान से ली गई थी जहाँ मृतक दामोदर का शव पड़ा था, और प्रदर्श 2 के रूप में उस स्थान से ली गई थी जहाँ मृतक चंद्र पाल का शव पड़ा था। रिपोर्ट से आगे यह भी संकेत मिलता है कि प्रदर्श 3 से 8 पर, जो कि मृतकों के कपड़ों से संबंधित हैं, खून के बड़े धब्बे पाए गए, जिनकी माप क्रमशः 70, 45, 25, 50, 40 और 25 सेंटीमीटर थी। उपरोक्त तथ्यों और पी.डब्ल्यू.-1 खेम करन तथा पी.डब्ल्यू.-2 श्रीमती माया देवी के बयानों से यह सिद्ध होता है कि मृतकों की हत्या अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा की गई है; और यह कि मृतक दामोदर का शव राम औतार के चौपाल से लगभग 77 कदम की दूरी पर स्थित मस्जिद के पास पाया गया था, तथा मृतक चंद्र पाल का शव उसके झोपड़ी से पाया गया था जो राम औतार के चौपाल से लगभग 25 कदम की दूरी पर स्थित है। इस दौरान रास्ते में खून की कुछ बूंदें अवश्य गिरी होंगी, जो लोगों के आवागमन के कारण नष्ट या मिट गई होंगी।

30. जहाँ तक अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का संबंध है कि अपीलकर्ताओं से हमले का हथियार बरामद नहीं हुआ है, तो इस संबंध में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिनांक 03.07.1984 को मामला दर्ज होने के बाद, मामले की विवेचना पी.डब्ल्यू.-3 लक्ष्मी नारायण द्वारा दिनांक 03.07.1985 को हाथ में ली गई थी। उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि विवेचना के दौरान उन्होंने हेड मुहर्रिर राम प्रकाश का बयान दर्ज किया। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया और घटना स्थल का नक्शा, प्रदर्श क-5 तैयार किया। पंचों (पंचनामे के गवाहों) की नियुक्ति करने के बाद, उन्होंने मृतकों के शवों का पंचनामा करवाया, जिसे प्रदर्श क-6 और प्रदर्श क-7 के रूप में अंकित किया गया। पंचनामा कराने के बाद, उन्होंने प्रथम सूचनाकर्ता श्रीमती माया देवी और गवाह खेम करन के बयान दर्ज किए। उन्होंने उस स्थान से भी रक्त रंजित मिट्टी और सामान्य मिट्टी एकत्र की जहाँ मृतक दामोदर और चंद्र पाल के शव पड़े हुए थे, आवश्यक दस्तावेज तैयार किए और शव-परीक्षण कराने के लिए दोनों शवों को कांस्टेबल पूरन सिंह और कांस्टेबल राम पाल को सौंप दिया। पी.डब्ल्यू.-3, लक्ष्मी नारायण ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि दिनांक 04.07.1984 को उन्होंने अपीलकर्ताओं के घर पर दबिश दी थी, लेकिन न तो अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को पकड़ा जा सका और न ही अपराध से संबंधित कोई वस्तु बरामद की जा सकी। पी.डब्ल्यू.-3 ने आगे कहा कि बरेली में कई स्थानों पर

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अभियुक्तों की तलाश की गई, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उन्हें पता चला कि दिनांक 07.07.1985 को अभियुक्तों ने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। क्षेत्राधिकारी के आदेश पर, मामले की विवेचना दिनांक 19.07.1984 को उप-निरीक्षक मान सिंह को स्थानांतरित कर दी गई थी। यह भी उल्लेख किया गया है कि यद्यपि उप-निरीक्षक मान सिंह का स्थानांतरण शाहजहाँपुर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था और वे अवकाश पर थे। दिनांक 04.08.1984 को उप-निरीक्षक मान सिंह ने जेल में अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के बयान दर्ज किए और अगले दिन, अर्थात् दिनांक 05.08.1984 को उन्होंने आरोप पत्र दाखिल कर दिया ।

31. एक सामान्य सिद्धांत के रूप में यह कहा जा सकता है कि विवेचना में किसी त्रुटि, अवैधता या खामी का तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, जब तक कि उसके कारण न्याय की विफलता न हुई हो या अभियुक्त को कोई गंभीर प्रतिकूलता न कारित हुआ हो। वर्तमान मामले में, जब पी.डब्ल्यू.-1 खेम करन लाल और पी.डब्ल्यू.-2 श्रीमती माया देवी के साक्ष्यों को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, तो हमले के हथियार की बरामदगी न होने से अभियुक्तों को कोई प्रतिकूलता कारित नहीं होती है, क्योंकि उनके बयानों को एक-दूसरे की संपुष्टि करते हुए देखा जा सकता है। चूंकि दोनों ही प्रत्यक्षदर्शी हैं, इसलिए महत्वपूर्ण रूप से देखी जाने वाली बात यह है कि उनका रुख सुसंगत है जब उन्होंने कहा कि वे अभियुक्त-अपीलकर्ता ही थे जो दोनों मृतकों पर हमला करने और उन्हें चोटें पहुँचाने के लिए उत्तरदायी थे। अतएव, अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण इस न्यायालय में विश्वास पैदा करता है। अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा (अभियुक्तों को) सौंपी गई विशिष्ट भूमिका को उन बाहरी आधारों पर चुनौती नहीं दी जा सकती जो प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उठाए गए हैं। स्वीकृत रूप से, मृतक और अपीलकर्ताओं के बीच शत्रुता थी, और अभियुक्त तथा गवाह करीबी रिश्तेदार होने के नाते एक-दूसरे से भली-भांति परिचित थे।

32. **करनैल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, 1995 एस.सी.सी. (5) 518 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"विवेचना की प्रकृति के संबंध में हमारी अप्रसन्नता के बावजूद, हमें यह विचार करना होगा कि क्या रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य, अत्यंत सूक्ष्म संवीक्षा के बाद भी, दोषसिद्धि को स्थापित करते हैं। त्रुटिपूर्ण विवेचना के मामलों में न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय सतर्क रहना होगा, परंतु केवल विवेचना की त्रुटि के आधार पर ही किसी अभियुक्त व्यक्ति को बरी कर देना उचित नहीं होगा; ऐसा करना विवेचना अधिकारी के हाथों में खेलने के समान होगा, यदि विवेचना को जानबूझकर त्रुटिपूर्ण बनाया गया हो।"

33. **राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य**, जे.टी. (1998) 3 एस.सी. 290 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

"ऐसे मामलों में, अभियोजन पक्ष के कथानक का परीक्षण अधिकारियों की ऐसी चूकों और दूषित आचरण से पृथक रखकर करना होगा, अन्यथा जो अनिष्ट जानबूझकर किया गया था, वह स्थायी हो जायेगा और परिवादी पक्ष को न्याय से वंचित कर दिया जाएगा, और इससे न केवल कानून लागू करने वाले अभिकरण में बल्कि न्याय प्रशासन में भी स्पष्ट रूप से लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा।"

34. **पारस यादव और अन्य बनाम बिहार राज्य**, 1999 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1122 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि विवेचना अभिकरण द्वारा कोई चूक की जाती है या लापरवाही बरती जाती है, तो अभियोजन पक्ष के साक्ष्य विश्वसनीय हैं या नहीं, यह पता लगाने के लिए उक्त साक्ष्य का परीक्षण ऐसी चूकों से पृथक रखकर किया जाना आवश्यक है। अधिकारियों का दूषित आचरण न्यायालयों द्वारा साक्ष्य के मूल्यांकन के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहिए; अन्यथा जानबूझकर किया गया अनिष्ट स्थायी हो जायेगा और परिवादी पक्ष को न्याय से वंचित कर दिया जाएगा।

35. एक हालिया निर्णय में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **एडाखंडी दिनेसन उर्फ पी. दिनेसन और अन्य बनाम केरल राज्य**, 2025 लाइव लॉ (एस.सी.) 25 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"अतएव, कानून का यह सिद्धांत पूरी तरह से स्पष्ट है कि केवल त्रुटिपूर्ण विवेचना के आधार पर ही अभियुक्त व्यक्तियों को उसका लाभ नहीं मिल जाएगा। अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र किए गए शेष साक्ष्यों, जैसे प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, चिकित्सा रिपोर्ट आदि पर विचार करना पूरी तरह से न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस न्यायालय का यह सुसंगत रुख रहा है कि अभियुक्त अभियोजन अभिकरण द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण विवेचना के आधार पर दोषमुक्ति का दावा नहीं कर सकता है। चूंकि अपीलकर्ताओं का विशिष्ट रूप से नाम लेने में प्रत्यक्षदर्शियों का विवरण पूरे विचारण के दौरान सुसंगत रहा है, इसलिए हम पाते हैं कि अभियुक्त व्यक्तियों के दोष को अकाट्य रूप से सिद्ध करने के लिए पर्याप्त संपुष्टि मौजूद है....."

36. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि विचारण के दौरान केवल दो गवाहों, अर्थात्- खेम करन लाल और श्रीमती माया देवी का ही परीक्षण किया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष के कथानक के अनुसार रोशन गड़रिया, खेम करन गड़रिया और जमील को घटना का प्रत्यक्षदर्शी दिखाया गया था, परंतु उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क पूरी तरह से भ्रामक है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि घटना स्थल पर उपरोक्त व्यक्तियों की उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पी.डब्ल्यू.-3 लक्ष्मी नारायण ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उन्होंने जमील की टॉच का निरीक्षण किया था और उसे प्रदर्श क-11 के माध्यम से उसकी सुपुर्दगी में दे दिया था; परंतु जिस बेरहमी से दोनों मृतकों को मौत के घाट उतारा गया, उसे देखते हुए कोई भी अभियुक्तों के विरुद्ध गवाही देने का साहस नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लोग ऐसे मामलों में गवाही देने से बचते हैं क्योंकि वे किसी आपराधिक मामले में और विशेष रूप से वर्तमान जैसे बड़े पैमाने के अपराध में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इसलिए, यह काफी स्वाभाविक था कि वे अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए आगे नहीं आए।

37. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि पी.डब्ल्यू.-2 श्रीमती माया देवी के साक्ष्य में अंतर्विरोध हैं, क्योंकि उनके प्रतिपरीक्षण में, जो दिनांक 26.08.1985 को हुआ था, पी.डब्ल्यू.-2 श्रीमती माया देवी ने बयान दिया था कि अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने दोनों

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मृतकों पर 4-5 लाठियों से वार किए और जब अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने उनके पति दामोदर पर चाकू से वार किया, तो वह गिर गए, जबकि उनके देवर चंद्र पाल अपने घर की तरफ भागे। हालांकि, पी.डब्ल्यू.-2 ने अपने प्रतिपरीक्षण में, जो दिनांक 28.08.1985 को हुआ था, यह बयान दिया कि चाकू का वार लगने के बाद उनके पति (मृतक दामोदर) गिरे नहीं थे और मस्जिद की तरफ भागे थे।

38. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन विरोधाभासों की ओर इशारा किया गया है, वे प्रकृति में अत्यंत मामूली हैं। गवाहों के बयानों में हमेशा कुछ सामान्य विसंगतियाँ हो सकती हैं। ये विसंगतियाँ समय बीत जाने और घटना के समय मानसिक स्थिति जैसे कि सदमे और भय के कारण होती हैं। तात्त्विक विसंगतियाँ वे होती हैं जो सामान्य नहीं होती हैं, अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ पर प्रहार करती हैं और एक सामान्य व्यक्ति से जिसकी अपेक्षा नहीं की जाती है। इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इंगित किया गया ऐसा मामूली विरोधाभास अपीलार्थी के किसी काम का नहीं है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन विसंगतियों की ओर इशारा किया गया है, वे प्रकृति में बहुत तुच्छ हैं, जो किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के मामले के आधार को प्रभावित नहीं करती हैं।

39. **स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम काल्की** (1981) 2 एस.सी.सी. 752 में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया था कि पीडब्लू-1 अत्यधिक हितबद्ध गवाह थी क्योंकि वह मृतक की पत्नी है और उसके बयान में विसंगतियाँ थीं। उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध, राजस्थान राज्य ने एक आपराधिक अपील दायर की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने प्रस्तर 5, 6 और 7 में निम्नानुसार निर्णय दिया:

5. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने दो आधारों पर पीडब्लू-1 के साक्ष्य पर भरोसा करने से इनकार कर दिया था: (1) वह एक "अत्यधिक हितबद्ध" गवाह थी क्योंकि वह "मृतक की पत्नी है", और (2) उसके साक्ष्य में विसंगतियाँ थीं। ससम्मान, हमारी राय में, दोनों आधार अमान्य हैं। क्योंकि, मामले की परिस्थितियों में, वह एकमात्र और सबसे स्वाभाविक गवाह थी; घटना के समय मृतक के साथ झोपड़ी में "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मौजूद वह एकमात्र व्यक्ति थी, और एकमात्र व्यक्ति थी जिसने घटना को देखा था। यह सच है कि वह मृतक की पत्नी है; लेकिन उसे 'हितबद्ध' गवाह नहीं कहा जा सकता। वह मृतक से संबंधित है। 'संबंधित' होना 'हितबद्ध' होने के समतुल्य नहीं है। किसी गवाह को 'हितबद्ध' केवल तब कहा जा सकता है जब वह मुकदमेबाजी के परिणाम से कोई लाभ प्राप्त करता/करती हो; जैसे कि दीवानी मामले की डिक्री में, या किसी आरोपी व्यक्ति को दंडित होते देखने में। एक गवाह जो स्वाभाविक है और मामले की परिस्थितियों में एकमात्र संभावित चश्मदीद गवाह है, उसे 'हितबद्ध' नहीं कहा जा सकता। वर्तमान मामले में पीडब्लू-1 की वास्तविक अपराधी को बचाने और प्रतिवादियों को झूठा फंसाने में कोई रुचि नहीं थी।

6. दूसरा आधार जिस पर उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-1 के साक्ष्य पर भरोसा करने से इनकार कर दिया, वह यह था कि उसमें "तात्त्विक विसंगतियाँ" थीं। जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, हमने पीडब्लू-1 के साक्ष्य का अवलोकन किया है। हमें उसके साक्ष्य में कोई "तात्त्विक विसंगतियाँ" नहीं मिली हैं। उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित विसंगतियाँ, हमारी राय में, मामूली, नगण्य, स्वाभाविक हैं और 'तात्त्विक' नहीं हैं। विसंगतियाँ इस संबंध में हैं कि किस आरोपी ने "मृतक को जमीन पर दबाया और शरीर के किस हिस्से पर दबाया और शरीर के किस हिस्से पर बैठा; इस संबंध में कि क्या प्रतिवादी काल्की ने मृतक को कुल्हाड़ी से तब वार किया जब वह खड़ा था या जमीन पर लेटा हुआ था, और क्या वार सिर की तरफ से किया गया था या पैरों की तरफ से। गवाहों के बयानों में हमेशा कुछ सामान्य विसंगतियाँ होती हैं, चाहे वे कितने भी ईमानदार और सच्चे क्यों न हों। ये विसंगतियाँ अवलोकन की सामान्य त्रुटियों, समय बीतने के कारण स्मृति की सामान्य त्रुटियों, घटना के समय मानसिक स्थिति जैसे सदमे और भय, और इसी तरह के कारणों से होती हैं। तात्त्विक विसंगतियाँ वे हैं जो सामान्य नहीं हैं, और एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित नहीं हैं। जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, हमें पीडब्लू-1 के साक्ष्य में कोई तात्त्विक विसंगति नहीं मिली है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील में केवल साक्ष्यों का मूल्यांकन शामिल है और यह न्यायालय साक्ष्यों के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप आए तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप न करे। यह सच है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील में यह न्यायालय सामान्यतः उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन जब यह प्रतीत होता है कि पहुंचे गए तथ्यों के निष्कर्ष विपरीतता की सीमा पर हैं और इसके परिणामस्वरूप न्याय का हनन हुआ है, तो यह न्यायालय न्याय के हनन को रोकने के लिए ऐसे निष्कर्षों को रद्द करने से पीछे नहीं हटेगा।"

40. स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम एम.के. एंथनी, (1985) 1 एस.सी.सी. 505 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया

"किसी गवाह के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय, दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि क्या गवाह का साक्ष्य समग्र रूप से पढ़ने पर सत्य प्रतीत होता है। एक बार जब यह धारणा बन जाती है, तो निःसंदेह न्यायालय के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह समग्र रूप से साक्ष्य में बताई गई कमियों, त्रुटियों और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य की अधिक बारीकी से संवीक्षा करे और उनका मूल्यांकन यह पता लगाने के लिए करे कि क्या यह गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य की सामान्य प्रवृत्ति के विपरीत है और क्या साक्ष्य का पिछला मूल्यांकन इस हद तक हिल गया है कि वह विश्वास के अयोग्य हो जाए। मामले के मुख्य भाग को छुए बिना तुच्छ मामलों पर मामूली विसंगतियाँ, साक्ष्य में से यहाँ-वहाँ संदर्भ से अलग किए गए वाक्यों को लेकर अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाना, विवेचना अधिकारी द्वारा की गई किसी ऐसी तकनीकी त्रुटि को महत्व देना जो मामले की जड़ तक नहीं जाती है, सामान्यतः समग्र रूप से साक्ष्य को खारिज करने की अनुमति नहीं देगी। यदि उस न्यायालय को, जिसके समक्ष गवाह साक्ष्य देता है, गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य की सामान्य प्रवृत्ति के बारे में राय बनाने का अवसर मिला था, तो अपीलीय न्यायालय, जिसे यह लाभ प्राप्त नहीं था, को विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के मूल्यांकन को उचित महत्व देना होगा; और जब तक कि कोई

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गंभीर और ठोस कारण न हों, मामूली भिन्नताओं या तुच्छ विवरणों के मामलों में कमजोरियों के आधार पर साक्ष्य को खारिज करना उचित नहीं होगा। यहाँ तक कि ईमानदार और सच्चे गवाह भी मुख्य घटना से असंबंधित कुछ विवरणों में भिन्न हो सकते हैं क्योंकि देखने, याद रखने और उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता अलग-अलग व्यक्तियों में भिन्न होती है। जिरह एक अशिक्षित व्यक्ति और एक परिष्कृत अधिवक्ता के बीच का एक असमान द्वंद्व है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई टिप्पणियों और गवाह के साक्ष्य को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों को उचित महत्व देते हुए तथा साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा इस गवाह के साक्ष्य के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, इस गवाह—जो परिवार का मित्र और शुभचिंतक है—के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के बाद, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय गवाह नायर के साक्ष्य को खारिज करने में त्रुटि की थी, जिसका साक्ष्य हमें विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रतीत होता है।"

41. स्टेट रिप्रजेंटेटेड बाई इंसपेक्टर ऑफ पुलिस बनाम सरवनम और अन्य, (2008) 17 एस.सी.सी. 587 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय, न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या विरोधाभास/लोप इतनी ज्यादा तीव्रता के थे कि वे विचारण को तात्त्विक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अभियोजन पक्ष के मामले के मुख्य भाग को प्रभावित किए बिना तुच्छ मामलों पर मामूली विरोधाभासों, विसंगतियों, अतिशयोक्तियों या सुधारों को समग्र रूप से साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय को, संपूर्ण साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद, गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में एक राय बनानी चाहिए और अपीलीय न्यायालय द्वारा सामान्य परिस्थितियों में न्यायसंगत कारणों के बिना उसकी दोबारा समीक्षा करना तर्कसंगत नहीं होगा।

42. इस मामले में तीन बचाव पक्ष के गवाह भी पेश किए गए हैं, अर्थात् डीडब्लू-1 राम औतार, डीडब्लू-2 रोशन लाल और डीडब्लू-3 खेम करन। डीडब्लू-1, राम औतार ने अन्य बातों के साथ-साथ यह गवाही दी कि प्रश्नगत रात्रि को उसकी चौपाल में कोई पंचायत आयोजित नहीं की गई थी और न ही वहाँ ऐसी कोई घटना घटी थी। डीडब्लू-2, रोशन लाल ने गवाही दी कि राम

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



औतार की चौपाल में हुई किसी भी पंचायत में उसने भाग नहीं लिया था और न ही प्रश्नगत घटना उसकी उपस्थिति में हुई थी, जबकि ग्राम राजपुरा के डीडब्लू-3, खेम करन ने गवाही दी है कि प्रश्नगत रात्रि को राम औतार की चौपाल में कोई पंचायत आयोजित नहीं की गई थी।

43. डीडब्लू-1, राम औतार ने अपने बयान में, जो दिनांक 24.09.1985 को दर्ज किया गया था, यह कहा है कि प्रश्नगत घटना की रात वह अपने घर में मौजूद था और सुबह जब वह सोकर उठा, तो उसे पता चला कि दामोदर और चंद्र पाल की हत्या कर दी गई है। अभियोजन पक्ष का मामला शुरुआत से ही यह था कि पंचायत राम औतार की चौपाल में आयोजित की गई थी, लेकिन वह पंचायत में उपस्थित नहीं था। पीडब्लू-2, श्रीमती माया देवी ने अपनी जिरह में, जो दिनांक 26.08.1985 को हुई थी, विशेष रूप से यह कहा है कि पंचायत राम औतार की चौपाल में आयोजित की गई थी जिसमें लगभग 20-25 व्यक्तियों ने भाग लिया था। राम औतार पंचायत में उपस्थित नहीं था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उपस्थित नहीं थे। मामले के विवेचना अधिकारी, पीडब्लू-3, लक्ष्मी नारायण ने अपनी मुख्य परीक्षा में विशेष रूप से यह कहा है कि उन्होंने राम औतार (डीडब्लू-1) की तलाश की थी, जिसकी चौपाल पर पंचायत आयोजित होने का आरोप था, लेकिन उन्हें पता चला कि वह बहेड़ी गया हुआ था और इस कारण लालटेन और डिब्बी को कब्जे में नहीं लिया जा सका। दिनांक 19.07.1985 को, उन्होंने पुनः राम औतार के घर का दौरा किया, जिसकी चौपाल में कथित तौर पर पंचायत आयोजित की गई थी जहाँ लालटेन और डिब्बी जल रहे थे, उन्हें अपने कब्जे में लिया और प्रदर्श क-12 के माध्यम से सुपुर्दगी में दे दिया, जिस पर राम औतार और बृज लाल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए, डीडब्लू-1, राम औतार का यह साक्ष्य कि उसकी चौपाल में कोई पंचायत आयोजित नहीं की गई थी, अविश्वसनीय है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

44. डीडब्ल्यू-2, रोशन लाल ने अपने साक्ष्य में केवल यह कहा है कि वह पंचायत के बारे में अनभिज्ञ था और उसने यह भी कहा कि वह घटना की तिथि को राम औतार से नहीं मिला था तथा उसने घटना के 2-4 दिन बाद राम औतार को देखा था। इसलिए, डीडब्ल्यू-2 का साक्ष्य अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के लिए किसी काम का नहीं है, बल्कि यह अभियोजन पक्ष के मामले को और मजबूत करता है कि घटना की तिथि को राम औतार अपने घर पर मौजूद नहीं था।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



45. डीडब्ल्यू-3, खेम करन, पुत्र घन श्याम ने अपने साक्ष्य में कहा है कि न तो राम औतार के चौपाल पर कोई पंचायत आयोजित की गई थी और न ही मृतक की हत्या उसकी उपस्थिति में हुई थी। हालांकि, अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कहा कि उसे यह जानकारी नहीं है कि वह किस मामले में अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के विरुद्ध गवाही दे रहा है। डीडब्ल्यू-3, खेम करन का साक्ष्य भी अपीलकर्ताओं के लिए सहायक नहीं है।

46. इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष के सभी गवाहों ने यह कहा है कि पुलिस द्वारा उन्हें पुलिस स्टेशन में चार दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया था, जहाँ उन्हें प्रताड़ित किया गया और पुलिस द्वारा उनकी बुरी तरह पिटाई भी की गई थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, उन्होंने न तो किसी उच्च पुलिस अधिकारी से इसकी शिकायत की और न ही अपनी चिकित्सीय जांच कराई।

47. जहाँ तक घटना के पीछे के हेतु का संबंध है, पीडब्लू-2, श्रीमती माया देवी द्वारा यह कहा गया है कि प्रश्नगत घटना दो बीघा भूमि को लेकर हुई थी, जो उनके चचिया ससुर झोड़ी की थी, जिसमें मृतक-दामोदर द्वारा गन्ने की फसल उगाई गई थी, लेकिन उसे अभियुक्त-राम चंद्र द्वारा काट लिया गया था। उक्त खेत के अतिरिक्त, 09-10 बीघा का एक अन्य खेत भी था। उस खेत की जुताई और बुआई अभियुक्त-अपीलकर्ताओं राम चंद्र, बाबू और बेचे लाल द्वारा की जा रही थी और वे उनके पति को उसमें खेती नहीं करने देते थे, जबकि उस भूमि में उनके पति का हिस्सा था। आगे यह भी कहा गया है कि उनके पति-दामोदर और देवर चंद्र पाल ने चार बीघा जमीन खरीदी थी। उक्त भूमि में अभियुक्त-अपीलकर्ता नाली बनाना चाहते थे, जिसके कारण हत्या की घटना से एक दिन पूर्व अभियुक्त और मृतक के बीच झगड़ा हुआ था और उक्त विवाद को सुलझाने के लिए एक पंचायत बुलाई गई थी।

48. पीडब्लू-1, खेम करन लाल ने भी अपने साक्ष्य में कहा है कि जोधी (जो अभियुक्त-अपीलकर्ताओं और मृतक के ताऊ थे) की दो बीघा भूमि पर भी अभियुक्त और मृतक द्वारा खेती की जा रही थी। जोधी की उक्त भूमि पर खड़ी फसल को अभियुक्त राम चंद्र द्वारा काट लिया गया था, जिस पर मृतक दामोदर ने आपत्ति जताई थी। उक्त भूमि के अतिरिक्त, 09-10 बीघा का एक खेत था, जिसकी कटाई राम चंद्र द्वारा की जा रही थी और वह मृतक को कटाई नहीं करने देता था। मृतक चंद्र पाल और दामोदर ने छद्मी लाल से चार बीघा जमीन

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



खरीदी थी। उक्त भूमि में अभियुक्त-अपीलकर्ता नाली बनाना चाहते थे, जिसके कारण हत्या की घटना से एक दिन पूर्व अभियुक्त और मृतक के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके लिए पंचायत बुलाई गई थी।

49. उपरोक्त तथ्यों को अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए अपने बयानों में स्पष्ट रूप से नकारा नहीं गया है। बयान दर्ज किए जाने के दौरान, अभियुक्त से एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया था कि "अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में यह बात आई है कि 09-10 बीघा भूमि, जिसमें मृतक की माँ हिस्सेदार हैं, की जुताई और बुआई अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा की जा रही थी और वे मृतक को खेती नहीं करने देते थे।" इस प्रश्न के उत्तर में, अभियुक्त-अपीलकर्ता राम चंद्र ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रश्नगत खेत में मृतक का कोई हिस्सा नहीं है, **बल्कि उनकी माँ हिस्सेदार हैं।**

50. इसी प्रश्न के उत्तर में, अभियुक्त-बाबू राम ने स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया और कहा कि उसे मृतक की माँ के हिस्से के बारे में जानकारी नहीं है।

51. दो अभियुक्त-अपीलकर्ताओं, अर्थात् राम चंद्र और बाबू राम के उपरोक्त बयानों के अवलोकन से यह स्वतः स्पष्ट होता है कि अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा दोनों मृतकों, अर्थात् दामोदर और चंद्र पाल को लगभग 09-10 बीघा क्षेत्रफल वाली संयुक्त भूमि में उनकी माँ के 1/3 हिस्से पर खेती करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, क्योंकि उक्त भूमि पर अकेले अभियुक्तों का ही कब्ज़ा था। इसलिए, पीडब्लू-1 खेम करन और पीडब्लू-2 श्रीमती माया देवी का यह साक्ष्य कि 9-10 बीघा क्षेत्रफल वाली संपूर्ण भूमि पर दोनों अभियुक्त व्यक्तियों और उनके चचेरे भाई बेचे लाल द्वारा खेती की जा रही थी तथा अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा दोनों मृतकों को उसके किसी भी हिस्से पर खेती करने से रोका जा रहा था, तथ्यात्मक और स्वीकार किए जाने योग्य है।

52. उक्त भूमि के अतिरिक्त, चार बीघा भूमि, जिसे मृतकों ने स्वयं खरीदा था और उक्त भूमि में अभियुक्त-अपीलकर्ता नाली बनाना चाहते थे, जिसके कारण हत्या की घटना से एक दिन पूर्व

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अभियुक्तों और मृतकों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप प्रश्नगत घटना घटित हुई जिसमें दोनों मृतकों, दामोदर और चंद्र पाल की हत्या कर दी गई।

53. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दोनों मृतकों को संयुक्त संपत्ति/भूमि से बेदखल कर दिया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि वे अपनी माँ की ओर से प्रश्नगत भूमि के 1/3 हिस्से पर कब्ज़ा प्राप्त करने के हकदार थे। इसके अलावा, अभियुक्त-अपीलकर्ता मृतकों के उस खेत पर भी नाली बना रहे थे, जिसे उन्होंने छद्मी लाल से खरीदा था। मामले को सुलझाने के उद्देश्य से, उन्होंने गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से अभियुक्त व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का समझौता करने का विचार किया होगा और तदनुसार एक पंचायत बुलाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप प्रश्नगत घटना घटित हुई जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा दोनों मृतकों को मौत के घाट उतार दिया गया।

54. यह एक वीभत्स हत्याकांड था जिसमें दो व्यक्तियों की दुस्साहसिक तरीके से हत्या कर दी गई थी। शवपरीक्षा के अवलोकन से पता चलता है कि दोनों मृतकों पर बेरहमी से हमला किया गया था। चोटों की गंभीरता स्पष्ट रूप से हमलों की क्रूरता को प्रदर्शित करती है।

55. हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक सूक्ष्म परीक्षण और अवलोकन किया है और हम पाते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उनका सही ढंग से क्रमबद्ध और मूल्यांकन किया गया है।

56. ऊपर जो कुछ भी दर्शाया गया है, उसके आलोक में हमारा यह मत है कि अभियोजन पक्ष दोनों अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अपना मामला बिना किसी उचित संदेह के सफलतापूर्वक सिद्ध करने में सफल रहा है।

57. तदनुसार, यह आपराधिक अपील खारिज की जाती है।

58. अपीलकर्ता राम चंद्र और बाबू राम जमानत पर हैं। उनके जमानत बांड रद्द किए जाते हैं और प्रतिभुओं को उन्मोचित किया जाता है। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे विद्वान विचारण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



न्यायालय द्वारा उन्हें सुनाई गई सजा को भुगतने के लिए तीन सप्ताह के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करें।

59. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह अनुपालन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को भेजे और दो महीने के भीतर इस न्यायालय के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

(देवेन्द्र सिंह-I, न्यायमूर्ति) (चंद्र धारी सिंह, न्यायमूर्ति)

फरवरी 26, 2026

इशरत

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"